न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 94 / 2019 / दावा

1. कानाराम पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. खेमचन्द पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
3. फूलीदेवी पत्नि मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीनी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
4. गंगाराम दत्तक पुत्र हरबक्सा जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
5. गुल्लीदेवी पत्नि गंगाराम जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीनी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– वादीगण

ब ना म

1. कालूराम
2. नारायण
3. मंगलचन्द
4. सांवरमल

पुत्रगण श्रीकिशन

5. धापूदेवी पत्नि श्रीकिशन
6. जोधाराम पुत्र रुघनाथ

समस्त जाति कुमावत (कुम्हार) समस्त निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
8. उप–पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
9. प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक भाखा पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा,
स्थायी निशेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति :–

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियॉ वकील वादीगण की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की ओर से।
3. प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 9 के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

नि र्ण य दिनांक 11.01.2022

1. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि हाल ख.नं. 580 रकबा 0.55 है. किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 581 रकबा 4.33 है. किस्म बारानी तृतीय, ख.नं. 611 रकबा 0.16 है. किस्म गै. मु. रास्ता, ख.नं. 634 रकबा 1.10 है. किस्म चाही चतुर्थ, ख.नं. 635 रकबा 1.02 है. किस्म चाही चतुर्थ, ख.नं. 636 रकबा 2.51 है. किस्म चाही चतुर्थ, ख.नं. 637 रकबा 0.56 है. किस्म बारानी तृतीय व ख.नं. 642 रकबा 0.27 है. किस्म बारानी तृतीय कुल किता 8 कुल रकबा 10.50 हैक्टेयर राजस्व ग्राम हनुमाननगर पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की सरहद में अवस्थित है। उक्त कृषि आराजियात में से वादीगण सं. 1 लगायत 3 हिस्सा 1/12, वादी सं. 4 हिस्सा 1/4, वादीया सं. 5 हिस्सा 1/8 एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की संयुक्त राजस्व रिकार्ड की भूमियां है जिनका पक्षकारान् ने मौके पर मौखिक रुप से अन्दाज में बंटवारा कर रखा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वर्णित हक हिस्सा एवं रकबे के मुताबिक विधिक रुप से बंटवारा का अंकन नहीं हो रखा है एवं राजस्व रिकार्ड संयुक्त चला आ रहा है। संयुक्त राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 वादीगण को बंटवारे में प्राप्त उक्त कब्जे काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग की भूमियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमियों के विशिष्ट भू–भाग पर बलात् कब्जा कर भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों को बेचान कर विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने को आमादा है। वादीगण द्वारा वादाधीन भूमियों का मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वर्णित हक हिस्सा एवं रकबा के मौके पर किये बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं पृथक पृथक खाता करवाने के लिए प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 से आग्रह किये जाने के बावजुद भी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 कोई रुचि नहीं ले रहे है तथा विभाजन करने के लिए इन्कार कर रहे है तथा अपनी मनमर्जी से भूमियों के विशिष्ट भू–भाग पर बलात् कब्जा कर भू–माफिया गिरोह के व्यक्तियों को बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। वादाधीन भूमियों के खातेदार मोहन पुत्र रुघनाथ फोत हो चुका है जिनकी विरासत का नामान्तकरण एवं हकत्याग का नामान्तकरण वादीगण सं. 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज होना शेष है। इसलिए मृतक खातेदार मोहन के विधिक वारिशान की ओर से वाद संस्थित किया गया है। वाद कारण आज से करीब 10–15 रोज पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 को मौके पर किये गये बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वर्णित हक हिस्से के मुताबिक विधिवत् रुप से राजस्व रिकार्ड में बंटवारा के लिए आग्रह करने के बावजुद राजस्व रिकार्ड में बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

करने से इन्कार करने तथा भूमियों के विशिष्ट भाग पर कब्जा कर भू-माफिया गिरोह के व्यक्तियों को बचान करने की धमकी दिये जाने के कारण तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमियों में हस्तक्षेप करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रति क्षण निरन्तर रुप से चालु है। अन्त में वादीगण ने वाद वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात का वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित हक हिस्से एवं मौके पर किये गये मौखिक बंटवारे के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के मध्य वादाधीन कृषि आराजियात का बंटवारा करने तथा बंटवारे में प्राप्त भूमियों में आवागमन हेतु रास्ता कायम राजस्व रिकार्ड करने, तदनुसार राजस्व रिकार्ड दूरस्त करने, बंटवारे में प्राप्त भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित करने एवं वादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमियों के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने, सींव नींव खुर्द बुर्द करने, कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करने, आवागमन के रास्ते को अवरोधित करने से प्रतिवादीगण स्वयं, परिजन, नोकर, प्रतिनिधि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने का अनुतोष चाहा।

2. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 9 की तामील होने के बावजुद अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रपाल धायल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 29/08/2019. को वकील प्रतिवादीगण द्वारा उनवानी वाद पत्र में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु आदेशिका पर सहमति जाहिर की। न्यायालय द्वारा दिनांक 29/08/2019 को वाद में उभय पक्षकारान् की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ। वकील प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी। वकील वादी द्वारा आपत्ति का जवाब पेश किया गया। बहस आपत्ति सुनी गयी। वकील प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 द्वारा आपत्ति आवेदन में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में वादीग्रस्त भूमियां का 40–45 वर्ष पूर्व मौके पर बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमियों के विभाजन बाबत एक पारिवारिक लिखावट हुयी थी तथा उस लिखावट अनुसार व आपत्ति की चरण सं. 6 अनुसार मौके पर कब्जा है, किन्तु बंटवारा प्रस्ताव लिखावट के अनुसार तैयार नहीं किया गया एवं वादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता मोहन का नाम खातदारी में दर्ज है जिनकी मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है वाद में उक्त मृतक मोहन की पुत्रीयों के नाम प्रस्ताव नहीं भिजवाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के हिस्से जमाबंदी अनुसार रकबा 4.7392 हैक्टेयर है परन्तु बंटवारा प्रस्ताव में 4.7400 हैक्टेयर दे दिया गया जो कि गलत है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 का संपूर्ण खाते में रकबा 0.8616 हैक्टेयर आता है परन्तु बंटवारा प्रस्ताव में 0.8650 हैक्टेयर कर दिया गया जो हिस्से से अधिक है। इसलिए आपत्ति स्वीकार कर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जावे। वकील वादीगण द्वारा आपत्ति के खण्ड़न में प्रस्तुत किये गये जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आपत्तिकर्तागण ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के विरुद्व आपत्ति प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने का अनुतोष आपत्ति के प्रत्येक पेरा में चाहा है, किन्तु प्राथमिक डिक्री के सम्बंध में आक्षेप सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, सीकर को है, अदालत हाजा को नहीं है। वादीगण एवं आपत्तिकर्तागण के मध्य कोई पारिवारिक लिखावट नहीं हुयी थी। वकील आपत्तिकर्तागण द्वारा आपत्ति आवेदन के साथ पेश तथाकथित पारिवारिक लिखावट/समझोता की फोटो प्रति दिनांकित 18/08/2019 कतई फर्जी है। वैसे भी तथाकथित लिखावट में न ही तो खसरा नम्बरान् का अंकन है एवं न ही वादग्रस्त भूमियों में वर्णित सभी खातेदारान् पक्षकार है एवं न ही सभी पक्षकारान् के हस्ताक्षर है इसलिए तथाकथित पारिवारिक लिखावट, लिखावट की परिभाषा में ही नहीं आती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि कोई भी लिखित जो पक्षकारों के अधिकारों को सृजित करती हो उसका पंजीकृत होना एवं पूर्ण मुद्रांकित होना बाध्यकारी है किन्तु तथाकथति पारिवारिक लिखावट न ही तो पंजीकृत है एवं न ही मुद्रांकित है इसलिए ऐसे दस्तावेज का विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है। आपत्तिकर्तागण की ओर से न ही प्रस्तुत तथाकथित पारिवारिक लिखावट की मूल प्रति को न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत कर अपनी साक्ष्य से प्रदर्शित करवाकर साबित करने का प्रयास किया है। प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्ड़ल के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर तैयार किया गया है तथा नियम 20 के तहत ही प्रत्येक खसरा नम्बर में पक्षकारान् को बाई मिट्स एण्ड़ बाउन्डस/अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि खातेदारान् को उनके हिस्से के अनुपात में दी गयी है। सभी खातेदारान् को रास्ते से लगती हुयी भूमियां बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है। रास्ते की भूमि ख.नं. 611 रकबा सभी खातेदारान् की खातेदारी में से उनके हिस्से के अनुपात में कम किया गया है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा पूर्वानुसार बदस्तूर जमाबंदी पक्षकारान् के शामलाती रखा गया है। इस प्रकार बंटवारा नियम 20 के उप–नियम में प्रयुक्त शब्दावली कि मंशा के अनुरुप ही पक्षकारान् को जहॉ तक संभव हुआ किस्म, गुणवता एवं मालियत के हिसाब से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी पक्षकारान् द्वारा निर्मित उनके पुख्ता मकानात् की सुविधा

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़

को ध्यान में रखते हुये बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है जो पक्षकारान् के मध्य रिकार्ड एवं मौके के अनुसार पूर्णतया व्यवहारिक एवं संतुलित है जिसमें तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नही होने से आपत्तिकर्तागण की आपत्ति खारिज की जाकर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के मुताबिक माफिक अनुतोष वाद में अंतिम डिक्री पारित कर वाद डिक्री किया जावे। वकील वादीगण द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (1) आर. आर. डी. 2002 पेज नम्बर 115 नारायण दत्त व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य (2) आर. एल. डब्ल्यू 2003(3) पेज 1891 मदनलाल बनाम विधिक प्रतिनिधि स्व. रामप्रसाद (3) आर. आर.टी. 2019(1) पेज 01 प्रस्तुत किये। वादपत्र पर बहस सुनी गयी।

3. सुनी गयी उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में प्रत्येक खातेदारान् अर्थात वादीगण एवं आपत्तिकर्तागण को उनके हक हिस्से एवं खातेदारी में दर्ज हिस्से के अनुपात में पूर्ण भूमि बंटवारा प्रस्ताव में दी गयी है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी रकबा 4.7392 हैक्टेयर है तथा बंटवारा प्रस्ताव में भी भूमि कम न देकर 4.7400 हैक्टेयर भूमि दी गयी है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 का संपूर्ण रकबा मुताबिक जमाबंदी 0.8616 हैक्टेयर होता है किन्तु बंटवारा प्रस्ताव में इस पक्षकार को भी भूमि कम न देकर 0.8650 हैक्टेयर भूमि दी गयी है। बंटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा सभी खातेदारान्–वादीगण एवं प्रतिवादीगण/आपत्तिकर्तागण के हिस्से में से कम किया गया है। रास्ते की भूमि को पूर्वानुसार जमाबंदी में दर्ज खातेदारी के मुताबिक प्रस्तावित किया है। बंटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली के समग्र अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि आपत्तिकर्तागण के हिस्से में दर्ज खातेदारी में से एक इंच रकबा भी प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव में कम नहीं किया गया है। दौराने बहस प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की मुख्य आपत्ति यह भी रही कि प्रस्तुत तथाकथित पारिवारिक लिखावट दिनांकित 18/08/2019. के अनुसार आपत्ति आवेदन की चरण सं. 6 के मुताबिक मौके पर कब्जा था एवं इस लिखावट के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया किन्तु आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति तथाकथित लिखावट के अवलोकन से प्रकट है कि तथाकथित लिखावट को न ही तो प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा एवं अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी ओर से साक्ष्य में प्रदर्शित करवाकर साबित किया गया है एवं न ही प्रस्तुत लिखावट में उनवानी वाद में वर्णित भूमियों के समस्त खातेदार पक्षकार है एवं न ही वादग्रस्त भूमियों के खसरा नम्बरान् का अंकन है व न ही समस्त पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

के हस्ताक्षर है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि ऐसा कोई भी दस्तावेज/पारिवारिक लिखित/ईकरारनामा जो किसी सम्पति के सम्बंध में पक्षकारान् के अधिकारों का सृजन करता हो ऐसे दस्तावेज का पंजीकृत एवं पूर्ण मुद्रांकित होना आवश्यक है किन्तु तथाकथित लिखावट न तो पंजीकृत है एव न ही मुद्रांकित है इसलिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 एवं 49 के प्रावधानों के विपरित होने से एवं वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत –(1) आर. आर. डी. 2002 पेज नम्बर 115 नारायणदत्त व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य अपील सं. 314/1997 निर्णित दिनांक 27 दिसम्बर 2001 में राजस्व मण्डल द्वारा पारित मतानुसार एवं (2) आर. आर. टी. 2019 (1) पेज 01 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के आलोक में प्रस्तुत लिखावट दिनांकित 18/08/2019 की फोटो प्रति का विधिक दृष्टि से कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है। लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार आपत्तिकर्तागण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के मुताबिक वाद में अंतिम रुप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश के मुताबिक वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादीगण के बंटवारे में प्राप्त भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने, सींव–नींव खुर्द बुर्द करने, पेड़ पौधे काटने व आवागमन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने से प्रतिबंधित रहे तथा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस अंन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार दांतारामगढ़ को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/1/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

कानाबनाम कालू आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 94 / 2019 दावा निर्णय दिनांक 11.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानिया मिनजानिब मुददई व श्री सुरेन्द्रपाल धायल मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू0अ0 / 342 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा ग्राम हनुमाननगर प0ह0 पचार का बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सें जारी की जाती है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1.	कालूराम, नारायण, मंगलचन्द, सावरमल पुत्रगण श्रीकिशन, धापुदेवी पत्नि श्रीकिशन हि.ब.हि. जाति कुमावत सा. देह खातेदार	634	1.10	चा–4	16.50
		635	1.02	चा–4	15.30
		636 / 2	1.58	चा–4	23.70
		637 / 2	0.20	बा–3	0.60
		581 / 2	0.84	बा–3	2.52
		किता–5	4.74		58.62
2.	गगांराम दत्तक पुत्र हरबक्स जाति कुमावत राहिन बीआरकेजीबी शाखा पचार मूर्तहीन	642	0.27	बा–3	0.81
		580	0.55	बा–3	1.65
		581 / 4	1.76	बा–3	5.28
		किता–3	2.58		7.44
3.	गुल्ली देवी ध.प.स्व. गंगुराम जाति कुमावत सा0 देह खातेदार	637 / 1	0.36	बा–3	1.08
		636 / 1	0.93	चा–4	13.95
		किता–2	1.29	–	15.03
4.	जोधाराम पुत्र रूघनाथ जाति कुमावत सा0 देह खातेदार	581 / 3	0.8650	बा–3	2.60
		किता–1	0.8650		2.60
5.	फुलीदेवी पत्नि मोहनलाल, कानाराम, खेमचन्द पुत्र मोहनलाल सा0 देह	581 / 1	0.8650	बा–3	2.60
		किता–1	0.8650		2.60
6.	जमाबन्दी अनुसार बदस्तुर खातेदार	611	0.16	गै.मु. रास्ता	–

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.01.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

मोहर

दस्तखत ओहदा

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 94 / 2019 / दावा

1. कानाराम पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
2. खेमचन्द पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
3. फूलीदेवी पत्नि मोहनलाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीनी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
4. गंगाराम दत्तक पुत्र हरबक्सा जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
5. गुल्लीदेवी पत्नि गंगाराम जाति कुमावत (कुम्हार) निवासीनी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

— वादीगण

ब ना म

1. कालूराम
2. नारायण
3. मंगलचन्द
4. सांवरमल

पुत्रगण श्रीकिशन

5. धापूदेवी पत्नि श्रीकिशन
6. जोधाराम पुत्र रुघनाथ
   समस्त जाति कुमावत (कुम्हार) समस्त निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
8. उप–पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।
9. प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक भाखा पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा,
स्थायी निशेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति :–

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियॉ वकील वादीगण की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की ओर से।
3. प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 9 के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ